लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 07/2011

श्री बालूराम पुत्र श्री उगमा जाति जाट निवासी ग्राम चांपानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर।

.......प्रार्थी

बनाम

1. श्री कैलाश पुत्र श्री उंकार (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. पारसी पत्नी श्री कैलाश
1/2. सम्पत्ति
1/3. सोनू
1/4. विष्णू
पुत्रियां श्री कैलाश
1/5. श्री मुकेश उर्फ ताराचंद पुत्र श्री कैलाश
1/6. पूजा पुत्री श्री कैलाश
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चांपानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर।

......**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः **1.** श्री भवानी सिंह रावत, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

–: आदेश :–

दिनांक 17.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 18.11.2010 को ग्राम चांपानेरी में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा श्री कैलाश पुत्र श्री उंकार जाति जाट निवासी ग्राम चांपानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम चांपानेरी के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा 1.52 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए नियमन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रकरण के विचाराधीन रहते आंवटी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन वकील अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन कमेटी की सिफारिश दिनांक 18.11.2010 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने अपने आदेश दिनांक 29.12.2010 के द्वारा राजकीय पड़त भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करने के आदेश पारित कर दिये जबकि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व खसरा नम्बर 179 रकबा 75 बीघा भूमि में से प्रार्थी का आवंटन चला आ रहा था तथा आवंटन किये जाने हेतु कोई रिक्त भूमि नहीं थी इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 75 बीघा में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 30.06.1992 को किया गया था। उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 1.55 हैक्टर बनाये गये है जिसे सहवन से सिवायचक आराजी दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन के आदेश पारित कर दिये गये जबकि उक्त खसरा नम्बर 179 में कोई रिक्त भूमि वास्ते आवंटन उपलब्ध नहीं थी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 75 बीघा में से 50 बीघा भूमि का आवंटन श्री गोविन्द राम पुत्र श्री उंकार जाट, श्री कैलाश पुत्र श्री उंकार जाट, श्री रतन लाल पुत्र श्री उगमा जाट व श्री बालूराम पुत्र श्री उगमा जाट प्रत्येक के पक्ष में 12 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन उपरोक्त चारों आवंटियों के पक्ष में पूर्व में ही किया जा चुका था। इससे पूर्व इसी खसरा नम्बर में से 25 बीघा भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी भिनाय के आदेश क्रमांक रा.उ./185/9092–95 दिनांक 19.07.1985 से उगमा, श्योराज व गोपाल पुत्रगण श्री भैरू जाति जाट के पक्ष में किया जाकर आंवटित भूमि पर उन्हें गैर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि का समस्त आवंटियों को आवंटन हो चुका है ऐसी स्थिति में कोई भी रिक्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व कब्जे बाबत् पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। उन्होंने कथन किया कि एक बार जो भूमि स्थाई तौर पर किसी को आवंटित कर दी जाती

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विधिक प्रक्रिया के तहत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 152 रकबा 1.55 हैक्टर के साबिक खसरा नम्बर 179 मिन रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा थे। खसरा नम्बर 179 मिन रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 30.06.1992 को प्रार्थी के पक्ष में किया जाकर राजस्व रेकार्ड में आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी अंकित कर दी गई तथा नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक 19.06.1993 से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये। खसरा गिरदावरी संवत् 2053 से 2057 के अवलोकन से प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त स्पष्ट है। हम वकील प्रार्थी के इन कथनों से सहमत है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् बिना खातेदारी अधिकार निरस्त करवाये भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन नियम विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री कैलाश पुत्र श्री उंकार जाति जाट निवासी ग्राम चांपानेरी के पक्ष में किया गया खसरा नम्बर 152 रकबा 155 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भिनाय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विवादित भूमि के आवंटन की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
(अपर कलक्टर),
अपर कलक्टर अजमेर